

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19


जयपुर, दिनांक: 22.11.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों के रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-


क्र. स.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य संपादन करने का स्थान/विभाग	विशेष विवरण
1.	प्रताप सिंह राठौड़ उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर	सहायक विधि परामर्शी उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर	रिक्त पद
2.	विनीत पण्ड्या वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद, बांसवाड़ा	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय बांसवाड़ा	रिक्त पद

श्री बाबूलाल मीणा, वरिष्ठ विधि अधिकारी, दिल्ली-मुम्बई इण्डीस्ट्रीयल कॉरीडोर विभाग जयपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.08.2022 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर के वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद के अतिरिक्त कार्यभार के आदेश को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव